उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार–249404

Website:psc.uk.gov.in

संख्या :: 55/01/E-2/DR/GPWS/2023-24 **दिनांक :: 18 जुलाई, 2024**

विज्ञप्ति

राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा–2024

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कर्मशाला अधीक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु **राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा–2024** के **विज्ञापन संख्या A-1/E-2/DR/GPWS/2023-24** के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 12.07.2024 तक आमंत्रित किये गये थे।

2. उक्त विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं0–6 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12.07.2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन **(Edit/Correction)** किये जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर **Online Edit Window** लिंक **दिनांक 20.07.2024 से दिनांक 29.07.2024 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)** तक खोला जायेगा, जिसके संबंध में दिशा–निर्देश विज्ञापन के बिन्दु सं0–12 में संशोधन/परिवर्तन के अन्तर्गत उल्लिखित है।

3. उक्त संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं–

(1) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गयी है, केवल वे अभ्यर्थी ही अपनी ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।

(2) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।

(3) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा **Update** हो सकेगा।

(4) **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् **Edited Data** ही अंतिम माना जायेगा।

(5) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (उत्तराखण्ड महिला इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(6) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नहीं किया जाएगा।

4. इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन **(Edit/Correction)** के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों/दावों को संशोधित/परिवर्तित करने के प्रत्यावेदन/अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय

-sd-

(गिरधारी सिंह रावत)

सचिव।